



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 01 अक्टूबर, 2013 ई0

आश्विन 09, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 346/XXXVI(3)/2013/56(1)/2013

देहरादून, 01 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013” पर दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 35 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

“उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2013”

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 35 वर्ष, 2013)

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 4 का संशोधन 2.

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में—

(1) उपधारा (1-क) में वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित एक नया परन्तुक बड़ा दिया जायेगा; अर्थात्—

“परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी तीन पहिया मोटर कैब के सम्बन्ध में ऐसी दर पर तिमाही कर का भी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।”

(2) उपधारा (2) में वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित एक नया परन्तुक बड़ा दिया जायेगा, अर्थात्,—

“परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटरकैब और मैक्सीकैब के सम्बन्ध में ऐसी दर पर मासिक कर का भी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।”

धारा 9 का संशोधन 3.

मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) एवं खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

“(दो) धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के समय, तीन पहिया मोटर कैब के लिये एक तिमाही के लिये अग्रिम में और अन्य के लिये एक वर्ष के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात युथा स्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती तिमाही के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व या अगले अनुवर्ती वर्ष के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व, संदेय होगा;

“(तीन) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के समय, मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिये एक कैलेण्डर माह के लिये अग्रिम में और अन्य के लिये एक त्रैमास के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात यथा स्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख या उसके पूर्व या प्रत्येक अगले अनुवर्ती त्रैमास के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख या उसके पूर्व संदेय होगा;”

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट
प्रमुख सचिव।

No. 346/XXXVI(3)/2013/56(1)/2013

Dated Dehradun, October 01, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ‘**The Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Amendment) Act, 2013**’ (Adhiniyam Sankhya 35 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 30 September, 2013.

The Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Amendment) Act, 2013

(Uttarakhand Act No. 35 of 2013)

An

Act

further to amend the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003(Uttarakhand Act No. 12 of 2003)

It is hereby enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

- | | | |
|-------------------------------------|----|---|
| Short title and commencement | 1. | <p>(1) This Act may be called the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Amendment) Act, 2013.</p> <p>(2) It shall come into force on such date, as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint.</p> |
| Amendment of section 4 | 2. | <p>The Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003, hereinafter referred to as the principal Act, in section 4:-</p> <p>(1) In sub-section(1-A), after existence 'proviso, a new proviso shall be inserted as follows; namely-</p> <p style="padding-left: 40px;">" Provided further that in respect of a three wheeler Motor Cab under this sub-section quarterly tax may also be paid at such rate as specified by the State Government by notification in the Gazette."</p> <p>(2) In sub- section (2), after existence proviso, a new proviso shall be inserted as follows; namely :-</p> <p style="padding-left: 40px;">" Provide further that in respect of a Motor Cab and Maxi Cab under this sub-section monthly tax may also be paid at such rate as specified by the State Government by notification in the Gazette."</p> |

**Amendment of 3.
section 9**

In sub-section (1) of section 9 of the principal Act for clauses (ii) and (iii) the following clauses shall be substituted, namely:-

"(ii) the tax payable under sub-section (1-A) of section 4, shall be payable in advance for one quarter in respect of three wheeler motor cab and for one year in respect of other vehicle at the time of registration of the motor vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 and thereafter on or before the first calendar month of each quarter next following or before fifteenth day of the first calendar month of each year next following as the case may be;

(iii) the tax payable under sub-section (2) of section 4 shall be payable in advance for one month in respect of motor cab and maxi cab and for one quarter in respect of other vehicles at the time of registration of the motor vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 and thereafter on or before the fifteenth day of each calendar month next following or before fifteenth day of the first calendar month of each quarter next following as the case may be."

By Order,

K. D. BHATT,
Principal Secretary.